प्रेस विज्ञप्ति
12.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 10.01.2026 को कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार किया, जो निदेशालय के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था। यह गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रही एक जांच के सिलसिले में की गई है।

ईडी विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर श्रीमती नौहेरा शेख और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों की जांच में अन्य बातों के अलावा यह पता चला कि नौहेरा शेख और अन्य ने भोले-भाले लोगों से 36% से अधिक वार्षिक रिटर्न का वादा करके 5978 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश एकत्र किया था, लेकिन मूल राशि भी वापस नहीं की, जिससे भोले-भाले निवेशकों को धोखा दिया गया।

ईडी की जांच में पता चला कि नौहेरा शेख ने अपराध से प्राप्त धन के एक हिस्से का उपयोग अपने नाम, अपनी कंपनियों के नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया था। जांच के दौरान, ईडी द्वारा लगभग 428 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गईं और हैदराबाद स्थित माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय में अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई।

इस मामले में पीएमएलए जांच और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे मामलों के दौरान, ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी का प्रस्ताव रखा गया ताकि उससे प्राप्त राशि धोखाधड़ी के पीड़ितों को वापस की जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उचित स्वीकृति प्राप्त करने और आदेशों का अनुपालन करते हुए, इस मामले में अटैच की गई कई संपत्तियों को एमएसटीसी के माध्यम से नीलामी के लिए रखा गया है। हालांकि, नौहेरा शेख ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय में नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए बार-बार प्रयास किए हैं। 5 जनवरी 2026 को आयोजित अंतिम नीलामी को रोकने के लिए, उन्होंने नीलामी प्रक्रिया में दुर्भावना का आरोप लगाते हुए माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उक्त याचिका को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया और नौहेरा शेख पर 5 करोड़ रुपये का दंडात्मक जुर्माना लगाया। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि नौहेरा शेख उक्त जुर्माना माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करें।

अपराध से अर्जित धन से अपनी संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा करने में विफल रहने के बाद, नौहेरा शेख ने मासिक वेतन और कमीशन के आधार पर कल्याण बनर्जी नामक एक फर्जी व्यक्ति की सेवाएं लीं। कल्याण बनर्जी ने ईडी अधिकारियों को संदेश और फोन करना शुरू कर दिया और खुद को कई उच्च पदस्थ नौकरशाहों और राजनेताओं का करीबी बताया। उसने अधिकारियों को नीलामी प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए लुभाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे स्पष्ट रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा गया, तो उसने अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया और नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए उन पर दबाव डाला।

खुफिया जानकारी जुटाई गई और पता चला कि वह एक धोखेबाज था जो विभिन्न विभागों में सलाहकार बनकर वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं के करीबी होने का ढोंग कर रहा था। उसके मोबाइल सिम कार्ड के केवाईसी दस्तावेजों में पता अधूरा पाया गया। अंततः खुफिया जानकारी के आधार पर उसका पता लगाया गया और 10.01.2026 को सिकंदराबाद स्थित उसके परिसर में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। उसके मोबाइल फोन से नौहेरा शेख और उसके सहयोगियों के साथ आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट मिलीं। उसकी चैट से यह भी पता चला कि वह अनैतिक तरीकों से जांच कार्यवाही और न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा था। अपराध की आय से

अर्जित संपत्तियों को बेचने और अवैध सौदों से भारी कमीशन कमाने के प्रयास भी सामने आए। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दर्ज अपने बयानों में उसने अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए प्रतिरूपण करने की बात स्वीकार की। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह नौहेरा शेख और उसके सहयोगियों के निर्देशों पर काम कर रहा था। यह खुलासा हुआ कि वह जानबूझकर नौहेरा शेख और उसके सहयोगियों को अपराध की आय से जुड़े विभिन्न प्रक्रियाओं और गतिविधियों में सहायता कर रहा था।

कल्याण बनर्जी को 11.01.2026 को नामपल्ली विशेष पीएमएलए न्यायालय के माननीय एमएसजे के समक्ष पेश किया गया और न्यायालय ने उन्हें 23.01.2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के किसी भी बेईमान व्यक्ति के प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

आगे की जांच जारी है।